न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल :प्रयागराज,जनपद :प्रयागराज,तहसील : हंडिया
वाद संख्या :-6355/2022
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T202202030206355
रामदास सिंह बनाम ग्राम सभा
अंतर्गत धारा:- 80, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006
---- अंतिम आदेश 31-08-2022

प्रस्तुत वाद प्रार्थी रामदास सिंह रामानंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा श्री पंकज कुमार सिंह पुत्र श्री धीरेंद्र सिंह निवासी 87 एच.आई.जी. आवास विकास कॉलोनी योजना-2 थाना झूंसी. तहसील फूलपुर. जिला प्रयागराज के प्रार्थना पत्र के आधार पर योजित हुआ जिसमें कहा गया है कि मौजा-सैदुपुर. परगना-मह. तहसील-हंडिया. प्रयागराज के आराजी संख्या 222मि. रकबा 0.3760 हे0 में से 0.2820 हे0 . 223 रकबा 0.6070 हे0 में से 0.3035 हे0. 242 रकबा 1.3950 हे0 में से 0.2280 हे0 में से बैनामे के आधार पर सहसंक्रमणीय भूमिधर है जो उक्त आराजी में से 8135 वर्ग मी0 भूमि पर वादी द्वारा बाउंड्रीवाल का निर्माण कार्य बनाकर आवासीय उपयोग किया जा रहा है। प्रश्नगत आराजी पर कृषक कार्य बिल्कुल नहीं होता है। अतः उक्त आराजी को अकृषक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाए।

नियमानुसार तहसीलदार हंडिया से जांच आख्या आहूत की गई। तहसीलदार हंडिया ने अपनी जांच आख्या में कहा है कि मौजा-सैदुपुर. परगना-मह. तहसील-हंडिया. प्रयागराज के वर्तमान खतौनी 1429-1434 फ0 के खाता संख्या 00160. 00041. 00089 के गाटा संख्या संख्या 222मि. रकबा 0.3760 हे0 में से 0.2820 हे0 . 223 रकबा 0.6070 हे0 में से 0.3035 हे0. 242 रकबा 1.3950 हे0 में से 0.2280 हे0 में से 8135 वर्ग मीटर बैनामे के आधार पर संक्रमणीय भूमिधर हैं। उक्त आराजी में से 8135 वर्ग मीटर बाउंड्रीवाल का निर्माण निर्माण कार्य हो चुका है। कृषि कार्य नहीं होता है तथा आवासीय प्रयोग में लाया जा रहा है। तहसीलदार हंडिया द्वारा अपनी जांच आख्या में उक्त आराजी को अकृषक घोषित किए जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है। वादी ने अपने साक्ष्य में वर्तमान उद्धरण खतौनी 1429-1434 फ0 आकार पत्र 41 व 45 व 1359 फ0 की खसरा की छायाप्रति व 2% उदघोषण शुल्क / न्याय शुल्क 39960 /- रुपए देय हैं जिसमें से कोर्ट फीस स्टाम्प शुल्क 20100/- रुपए व मु 18960 /- रुपए जो चालान संख्या **GB00354** दिनांक 29.08.2022 व मु 3000/- रुपए का सीमांकन शुल्क जो चालान संख्या **GB00354** दिनांक 29.08/2022 तथा संबंधित आराजी की फोटो व सहखातेदारों की अनापत्ति प्रमाण पत्र देकर अपना साक्ष्य पूरा किया। उपरोक्त के आधार पर उक्त आराजी को अकृषक घोषित किए जाने में कोई विधिक अड़चन नहीं है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि तहसीलदार हंडिया की जांच आख्या के आधार पर मौजा-सैदुपुर. परगना-मह. तहसील-हंडिया. प्रयागराज के वर्तमान खतौनी के 1429-1434 फ0 के खाता संख्या 00160. 00041. 00089 के गाटा संख्या संख्या 222मि. रकबा 0.3760 हे0 में से 0.2820 हे0 . 223 रकबा 0.6070 हे0 में से 0.3035 हे0. 242 रकबा 1.3950 हे0 में से 0.2280 हे0 में से 8135 वर्ग मीटर को अकृषक घोषित करते हुए लगान मुक्त किया जाता है। राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक29.08.2022 का आदेश अंग होगा। परवाना अलदरामद जारी हो।आदेश की एक प्रति उपनिबंधक को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

31/08/2022
(रमेश ...)
उपजिलाधिकारी, हंडिया
प्रयागराज

Date of Application 14/08/2022
पृष्ठ संख्या Date of Notice 15/08/2022
Date of Issue 29/08/2022
No. of Words 300/-
Reader To S.D.M./S.D.O.

मैनेजिंग ट्रस्टी
रामदास सिंह रामानंद सिंह चैरिटेबुल ट्रस्ट
37-एच०आई०जी०, आवास विकास कालोनी
योजना-2, झूंसी, प्रयागराज